रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052025-262837
CG-DL-E-02052025-262837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2025/वैशाख 11, 1947
No. 240]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2025/VAISAKHA 11, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 283(अ).—स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड- 3, उप-खण्ड (i) में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 498 (अ) तारीख 14 अगस्त, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इन नियमों से प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने के तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां या सुझाव मंगाए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 14 अगस्त, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अवधि के भीतर जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 में, अनुसूची-I में 'अनुसूची-I' शीर्षक के अधीन

(i) "(नियम 4, 6, 11, 12, 35, 46, 49, 50, 53, 54, 60, 61)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "(नियम 4, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 33, 35, 43, 46, 49, 50, 53, 54, 60 और 61)" शब्दों और अंकों रखे जाएंगे;

(ii) सारणी ख और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा,

ग. निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए निरीक्षक या सक्षम व्यक्ति या तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी को देय फीस-

क्रम सं.	प्रयोजन	फीस (रुपए में)
1.	1. प्रत्येक दाब पात्र के डिजाइन ड्राइंग और डिजाइन गणना का नियम 13 के अधीन अंकन	2000
2.	2. दाब पात्र की मरम्मत के लिए नियम 13 के अधीन निर्माण ड्राइंग का अंकन	2000
3.	3. प्रत्येक दाब पात्र के लिए नियम 13 के अधीन चरणवार निरीक्षण और नियंत्रण का प्रमाणपत्र जारी करना	4000
4.	4. दाब पात्र पर लगे प्रत्येक सुरक्षा वाल्व का नियम 18 के अधीन परीक्षण और प्रमाणन	1000
5.	5. प्रत्येक दाब पात्र के नियम 19 के अधीन आवधिक परीक्षण और प्रमाणन	
	6. i) भूमि पर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पात्र	3000
	7. ii) हॉर्टन स्फेयर	5000
	8. iii) भूमिगत या माउंडेड पात्र	5000
	9. iv) परिवहन पात्र	3000
6.	10. नियम 33 के अंतर्गत सुरक्षा का प्रमाणपत्र	
	11. i) नियम 22 की सारणी 1, 2 और 3 के अधीन आने वाले परिसर	3000
	12. ii) नियम 22 की सारणी 4 और 5 के अधीन आने वाले परिसर	5000
	13. iii) नियम 22 की सारणी 6 और 7 के अधीन आने वाले परिसर	1000
7.	14. नियम 43 के अधीन परिवहन यान के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र	2000

[फा. सं. पी-13033/68/2023-विस्फोटक]

डॉ. संध्या भुल्लर,संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1109 (अ) द्वारा तारीख 1 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 388 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018,

सा.का.नि. 148 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2019 द्वारा इनमें अंतिम बार संशोधन किए गए थे तथा सा.का.नि. 609 (अ) तारीख 31 अगस्त, 2021 द्वारा इनमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025

G.S.R. 283(E).—WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, were published, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number, G.S.R. 498 (E), dated the 14th August, 2024, in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 14th August, 2024;

AND WHEREAS no objection or suggestions received from the public within the said period;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, namely:–

1. (1) These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Amendment Rules, 2025.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, in the Schedule –I, under the heading "SCHEDULE-I"

i.

   i. for the words and figures "(see rules 4, 6, 11, 12, 35, 46, 49, 50, 53, 54, 60, 61)", the words and figures "(See rules 4, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 33, 35, 43, 46, 49, 50, 53, 54, 60 and 61)" shall be substituted;
   ii. after Table B and entries relating thereto the following shall be inserted,

C. Fees payable to the Inspector or Competent Person or Third Party Inspection Agency for inspection, testing and certification

Sl. No.	**Purpose**	**Fees (in Rupees)**
1.	Appraisal of design drawing and design calculation of each pressure vessel under Rule 13.	2000
2.	Appraisal of fabrication drawing for repairing of pressure vessel under Rule 13.	2000

3.	Stage-wise inspection and issue of certificate of control under Rule 13 for each pressure vessel.	4000
4.	Testing and certification of each safety valve mounted on pressure vessel under rule 18.	1000
5.	Periodic testing of each pressure vessel and its certification under Rule 19.	
	i. Above ground horizontal or vertical vessel.	3000
	ii. Horton Sphere.	5000
	iii. Underground or mounded vessel.	5000
	iv. Transport Vessel.	3000
6.	Certificate of Safety under Rule 33.	
	i. Premises covered under Table 1, 2 and 3 of Rule 22.	3000
	ii. Premises covered under Table 4 and 5 of Rule 22.	5000
	iii. Premises covered under Table 6 and 7 of Rule 22.	1000
7.	Certificate of safety for transport vehicle under rule 43.	2000

[F. No. P-13033/68/2023-EXPLOSIVE]
Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note :– The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 1109(E), dated the 1st December, 2016 and subsequently amended vide G.S.R 388(E), dated the 20th April, 2018; G.S.R 148(E), dated the 25th February, 2019; and last amended vide G.S.R. 609(E) dated 31st August, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.02 15:25:58 +05'30'